e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

स0सं0:– 17–वि0सर्वे0 साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन–142/2020......1477

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

आई0आई0सी0, हैदराबाद,
आई0एल0एण्डएफ0एस0, गुड़गांव, नई दिल्ली,
जी0आई0एस0 कंसोर्टियम, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक :– 16-04-2021

विषय :– दिनांक– 15.04.2021 को जूम के माध्यम से अररिया एवं लखीसराय जिले के विशेष सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा पश्चात् उत्पन्न स्थिति के कारण अग्रेतर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक– 15.04.201 को जूम के माध्यम से बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया एवं लखीसराय की समीक्षा के उपरांत पाई गई स्थिति के आलोक में निम्नांकिंत निदेश दिए जाते हैं:–

1. जिलों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अभी तक सभी बन्दोबस्त कार्यालयों को विशेष सर्वेक्षण के लिए चयनित सभी राजस्व ग्रामों के मानचित्र की आपूर्ति नहीं की गई है। एक सप्ताह के अन्दर सभी सम्बन्धित मानचित्रों को जिलों में उपलब्ध कराते हुए इसकी सूचना भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को दी जाए।

2. संबंधित हवाई एजेंसी को जिन जिलों में विशेष सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ हुआ उसके प्रत्येक मौजे के लिए एकरारनामा अनुसार एक ई0टी0एस0 मशीन एवं दो कर्मी उपलब्ध कराना है। जिलों से प्राप्त सूचना अनुसार हवाई एजेंसी द्वारा एकाध ई0टी0एस0 मशीन भी उपलब्ध कराया गया है। निदेश है कि अविलंब कम–से–कम प्रति शिविर दो–दो ई0टी0एस0 मशीन, दो प्रिज्म एवं दो कर्मी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे अन्यथा इस स्थिति में ई0टी0एस0 मशीन के कारण कार्य में विलंब होने की सम्पूर्ण जबावदेही एजेंसी को होगी और मानव कार्य दिवस की क्षति की दायित्त्व एजेंसी का होगा।

3. मौजावार हवाई एजेंसी के द्वारा कर्मी एवं ई0टी0एस0 मशीन जो उपलब्ध कराये गये है के आधार पर आगामी एक माह का रोस्टर कैंलेडर बन्दोबस्त कार्यालय के साथ संपर्क कर इस प्रकार तैयार किया जाय कि सभी मौजा का कार्य नियमावली अनुसार ससमय हो सके।

4. रोस्टर कैलेन्डर के अनुसार बनाई गई कार्य–योजना में प्रति दिन कम–से–कम तीन त्रिसीमाना चिन्हित किया जाए अथवा एक मौजा के ग्राम–सीमा निर्धारण का कार्य पूर्ण किया जाए।

5. यह भी समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि हवाई एजेंसी द्वारा ग्राम–सीमा सत्यापन पश्चात् अथवा किस्तवार के पश्चात् जो नक्शा उन्हें सुधार के लिए उपलब्ध कराया जाता है वह ससमय सुधार कर वापस नहीं किया जाता है।

निदेश है कि इस माह के 26.04.2021 तक सभी सुधार किये जाने वाले नक्शा शिविरों को उपलब्ध करा दिया जाय। अन्यथा की स्थिति में आपको भुगतान के समय कार्य दिवस के क्षति अनुरूप कटौती की जा सकती है।

इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 16/4/21
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 17–वि0सर्वे0 साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन–142/2020...1477... **पटना, दिनांक** :...16-04-2021

प्रतिलिपिः समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी, शिवहर/बांका/बंदोबस्त पदाधिकारी,बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/अरवल/किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णिया/सीतामढ़ी/सुपौल/सहरसा/ मधेपुरा/प0 चम्पारण/बांका/जमुई/शेखपुरा/मुंगेर/नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 17–वि0सर्वे0 साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन–142/2020...1477... **पटना, दिनांक** :...16-04-2021

प्रतिलिपिः– निदेशालय स्तर से जिलों के लिए प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी–सह–सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 17–वि0सर्वे0 साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन–142/2020...1477... **पटना, दिनांक** :...16-04-2021

प्रतिलिपिः– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 17–वि0सर्वे0 साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन–142/2020...1477... **पटना, दिनांक** :...16-04-2021

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 16/4/21
भू–अभिलेख एवं परिमाप